विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-40/17

श्री केशरीमल कन्हैयालाल — आवेदक
द्वारा– श्री धर्मेन्द्र गुप्ता,
4–ए, हीरामिल रोड़,
उज्जैन म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पश्चिम) शहर संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 03.02.2018 को पारित)

01 श्री केशरीमल कन्हैयालाल द्वारा–श्री धर्मेन्द्र गुप्ता, उज्जैन द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन के प्रकरण क्रमांक W0373117 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 20.12.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–40/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 12.01.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री, उज्जैन उपस्थित हुए।

04 बहस के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के अध्ययन के लिए कुछ समय मांगते हेतु सुनवाई की अगली तारीख देने का अनुरोध किया गया । अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 22.01.2018 निश्चित की गई।

05 दिनांक 22.01.2018 को पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक श्री धर्मेन्द्र गुप्ता एवं उनके अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री, उज्जैन उपस्थित हुए।

06 सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक की अपील पर बिन्दुबार जानकारी प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति आवेदक को प्रदाय की गई। तर्क के दौरान कुछ बिन्दुओं पर जानकारी अस्पष्ट

होने से अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे आवेदक के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी तथा परिसर में स्थापित दोनों मीटरों की वर्ष 2005 से खपत का विवरण, चैक मीटर द्वारा की गई खपत का विवरण, सम्पूर्ण ऐरियर की राशि का विवरण तथा आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का विवरण सुरवाई की अगली तिथि दिनांक 01.02.2018 को प्रस्तुत करें।

07 दिनांक 01.02.2018 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की।

08 सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका औद्योगिक कनेक्शन क्रमांक 39085 (जो कि वर्तमान सर्विस क्रमांक 6329374111 हो गया है) के विरूद्ध प्राप्त निरंतर मासिक बिल जमा किये जाने के बावजूद भी एक राशि जोड़कर बिल दिया जा रहा है जिसे कि बार–बार अनुरोध करने पर भी अनावेदक द्वारा हटाया नहीं जा रहा है।

09 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा उनसे रूपये 6,32,000/– यह कहकर जमा करा लिये गये थे कि बकाया की सरचार्ज की राशि अनुमोदन प्राप्त कर विलोपित करने की कार्यवाही की जाएगी। माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर द्वारा भी सरचार्ज माफ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया है। उपरोक्त राशि आवेदक द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जमा कराई थी।

10 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रकरण फोरम में दर्ज करने से पूर्व यह कहा गया था कि सिविल न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने से फोरम द्वारा प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अतः आवेदक द्वारा सिविल न्यायालय में लंबित प्रकरण जिसमें कि चैक मीटर नहीं लगाये जाने एवं उसे हटाये जाने तथा कनेक्शन नहीं काटे जाने से संबंधित था वापिस ले लिया गया था।(एनेक्सर–1)

11 तर्क के दौरान आवेदन द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा उन्हें दिनांक 25.3.2005 को लिखित में आश्वासन दिया था कि उनकी चैक मीटर के द्वारा कोई भी बिलिंग नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी सितंबर 2005 से जून 2006 तक उनकी बिलिंग चैक मीटर से की गई जो कि उन्हें विद्युत उपभोक्ता फोरम में प्रकरण चलते समय विदित हुई कि उनके बिल में जोड़ी गई राशि चैक मीटर के आधार पर की गई बिलिंग की राशि है।(एनेक्सर–2)

12 इस बीच अनावेदक द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि आवेदक द्वारा विभिन्न न्यायालय में दर्ज प्रकरण उनके पक्ष में आये हैं तदनुसार ही चैक मीटर से बिलिंग की गई है । जबकि आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चैक मीटर द्वारा की गई बिलिंग को कभी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। उनके द्वारा विभिन्न न्यायालयों में चैक मीटर हटाये जाने एवं उनका कनेक्शन विच्छेदित नहीं करने का अनुरोध किया गया था।

13 प्रकरण में प्रथम दृष्टया देखने से स्पष्ट है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आवेदन पत्र दर्ज करने के पूर्व आवेदक के सभी प्रकरणों का सिविल न्यायालय द्वारा निराकरण किया जा चुका था तथा कोई भी प्रकरण लंबित नहीं था।

14 आवेदक द्वारा फोरम के सम्मुख चैक मीटर से की गई बिलिंग एवं उस पर लगाया गया सरचार्ज को माफ करने हेतु अनुरोध किया था। परन्तु फोरम द्वारा दिनांक 05.08.2017 को पारित आदेश में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों पर हस्तक्षेप करने का फोरम को अधिकार नहीं होने पर एवं सरचार्ज में छूट देने हेतु मुख्य अभियंता, उज्जैन कों 45 दिनों में सरचार्ज में छूट देने के संबंध में निर्णय लेने हेतु कहा गया।

15 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर में दो विद्युत कनेक्शन हैं जिसमें कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर स्थापित किये गये थे। आवेदक के परिसर का निरीक्षण करने पर मीटर में छेड़छाड़ किये जाने का संदेह होने पर विजिलेंस अधिकारी द्वारा मीटर को बदलने हेतु निर्देशित किया (एनेक्स–3) । परन्तु आवेदक द्वारा मीटर नहीं बदलने हेतु उनके द्वारा एक चैक मीटर उच्चदाब कनेक्शन लाईन पर सितंबर 2005 में स्थापित किया गया।

16 आवेदक द्वारा बताया गया कि चैक मीटर में दर्ज खपत एवं आवेदक के परिसर में स्थापित दोनों कनेक्शनों के मीटर द्वार दर्ज खपत में अंतर आने पर चैक मीटर द्वारा दर्ज खपत के अनुसार सितंबर 2005 से जून 2006 तक की अतिरिक्त खपत का सितंबर 2007 से जिसकी कि राशि रूपये 5,91,776/– थी, उपभोक्ता के मासिक बिलों में प्रत्येक माह जोड़कर दी जाती रही। परन्तु आवेदक से केवल उनके परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज खपत के आधार पर मासिक देयक का भुगतान अनावेदक द्वारा प्राप्त किया जाता रहा। (एनेक्स–4)

17 अनवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया कि चैक मीटर जून 2006 में हटा लिया गया था तथा आवेदक के परिसर में स्थापित इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर में दर्ज खपज के अनुसार ही बिल जारी किये जाते रहे। अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 39085 का ही विवाद है क्योंकि इस कनेक्शन में चैक मीटर एवं आवेदक के परिसर में स्थापित मीटरों क अंतर की खपत की बिलिंग को जोड़ा गया है।

18 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के कनेक्शन क्रमांक 39085 में स्थापित मीटर जल जाने के कारण दिनांक 1.9.2009 को बदल दिया गया तथा मीटर में दर्ज खपत के अनुसार ही आवेदक को बिल जारी किया गया जिसका कि भुगतान उनके द्वारा निरंतर किया जाता था।

19 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अक्टूबर 2011 में विद्युत कनेक्शन क्रमांक 39085 के विरूद्ध वर्ष 2005–06 में चैक मीटर मे दर्ज खपत के अनुसार अतिरिक्त बिल रू. 5,91,776/– की डिमाण्ड की गई। परन्तु प्रत्येक माह इस परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज खपत के आधार पर जारी मासिक देयक में दर्शाई गई राशि को जमा करा लिया जाता था, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक माह बकाया राशि पर सरचार्ज की राशि इकट्ठी होती गई जो कि बढ़कर रूपये 14,39,500/– हो गई।

20 उपरोक्त के संबंध में जब अनावेदक से पूछा गया कि सितंबर 2007 से दिसंबर 2010 तक जब आवेदक को हस्तलिखित बिल बनाये जाते थे, उस समय मासिक खपत के बिल की राशि के अलावा बकाया राशि रूपये 5,91,776/– जोड़कर दिया जाता था, परन्तु बकाया राशि के बिना भुगतान प्राप्त कर लिया जाता था। इस प्रकार अक्टूबर 2011 से जारी कंप्यूटराईज बिल में भी यही राशि बकाया इंगित करने के बाद भी केवल मासिक खपत के समतुल्य विद्युत

देयक का भुगतान प्राप्त कर लिया जाता था, ऐसा क्यों किया जाता था, इस पर अनावेदक द्वारा बताया गया कि चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/2006 के चलते दिनांक 2.5.2006 को निर्देशित कियागया था कि आवेदक से चैक मीटर की खपत के अनुसार बिलिंग नहीं की जाए जब तक कि आवेदक नियमित विद्युत देयकों का भुगतान करता है कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया जाए। इस आधार पर आवेदक से उक्त राशि प्राप्त नहीं की जा सकती थी। जबकि न्यायालय में इस राशि के सबंध में कोई वाद दायर नहीं था और ना ही इस राशि को वसूल नहीं करने के लिए न्यायालय से कोई स्टे आर्डर था।

21 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि जब अनावेदक द्वारा उनके बार–बार स्मरण पत्र देने एवं अनुरोध करने पर भी बकाया राशि की जानकारी नहीं दी जा रही थी तो उनके द्वारा एक शिकायत ऊर्जा मंत्री को की गई तथा उस शिकायत पत्र के पश्चात अधीक्षण यंत्री (एनेक्सर–5) द्वारा यह बताया कि निकाली गई रिकवरी वसूली योग्य है एवं फोरम में प्रकरण चलते समय यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह राशि वर्ष 2005–06 के बीच लगाये गये चैक मीटर में दर्ज खपत के अनुसार अंतर खपत की बिलिंग की राशि है।

22 आवेदक द्वारा कहा गया कि यदि उन्हें पूर्व में ही इस राशि की जानकारी दी गई होती तो निश्चित रूप से वे सिविल न्यायालय में दर्ज अपील एवं वाद में उक्त राशि जो कि चैक मीटर के कारण निकाली गई है, को चुनौती देते। परन्तु उन्हें यह जानकारी नहीं होने पर उनके द्वारा चैक मीटर हटाये जाने एवं कनेक्शन विच्छेदित नही करने हेतु सिविल न्यायालय से अनुरोध किया गया।

23 उपरोक्त तत्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने एवं तर्क सुनने के बाद निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं –

अ आवेदक द्वारा उपरोक्त अपील उनके विद्युत कनेक्शन क्रमांक 39085 में दर्शायी जा रही राशि के विरूद्ध की गई है।

ब यह भी तथ्य सामने आते हैं कि आवेदक के परिसर में दो इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर स्थापित किये गये थे जिसकी खपत एवं मीटर में छेड़छाड़ होने के संदेह के आधार पर दोनों कनेक्शनों के लिए एक चैक मीटर उच्चदाब लाईन पर स्थापित किया गया था।

स उक्त मीटर जून 2006 में हटा लिया गया एवं चेक मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर बिलिंग की जाना बंद कर दी गई।

द स्थापित चैक मीटर सितंबर 2005 से जून 2006 तक की अवधि में लगाया गया तथा जिसमें दर्ज खपत एवं आवेदक के परिसर में स्थापित दोनों मीटरों में दर्ज खपत के अंतर की खपत का पूरक बिल रूपये 5,91,776/– आवेदक के मासिक देयकों में माह सितम्बर 2007 से जोड़कर दिया जाता रहा।

च आवेदक को प्रथम बार सितंबर 2007 में सितंबर 2005 से जून 2006 तक की अवधि में चैक मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर पूरक बिल जारी किया गया अर्थात लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात।

छ आवेदक के यहाँ जून 2006 के पश्चात भी वही इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर लगे रहे जिसकी की कार्यप्रणाली संदेहप्रद होने पर चैक मीटर लगाया गया था तथा उसमें दर्ज खपत के अनुसार ही हस्तलिखित बिल में बकाया राशि रूपये 5,91,776/– जोड़कर किया जाता रहा तथा बाद में भुगतान के समय उक्त राशि को कम करके नियमित मासिक बिल का भुगतान प्राप्त किया जाता रहा।

ज आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन क्रमांक 39085 का मीटर जल जाने से दिनांक 1.9.2009 को बदल दिया गया।

24 अनावेदक ने अपने कथन में यह स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, उज्जैन की प्रोसेडिंग दिनांक 2.5.2006 में दिये गये निर्देश अनुसार विवादित राशि को कम कर शेष बिल की राशि जमा कराई जाती रही। (एनेक्स–6)

25 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद क्रमांक 45/ए/2013 पर निर्णय दिनांक 4.3.2014 को दिया गया जिसमें कि आवेदक की प्रार्थना कि उनके यहाँ से चैक मीटर हटाया जाए एवं उनका कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया जाए को निरस्त कर दिया गया। परन्तु चेक मीटर के आधार पर दिये गये पूरक बिल की राशि के भुगतान के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था।

26 प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदक को यह लिखित में आश्वासन दिया गया था कि उनके द्वारा चैक मीटर लगाये जाने पर उसके आधार पर कोई भी बिलिंग नहीं की जाएगी (एनेक्स–2) ।

27 यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा यह पाये जाने पर कि आवेदक के यहाँ स्थापित मीटरों द्वारा कम खपत दर्ज की जा रही है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा जून 2006 से चैक मीटर के आधार पर बिलिंग किया जाना बंद कर दिया गया। आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर अनावेदक के कथन अनुसार त्रुटिपूर्ण मीटरों के आधार पर ही मासिक बिल जारी किये जाते रहे जब तक कि आवेदक के मीटर जलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर से बदल नही दिये गये।

28 आवेदक द्वारा किसी भी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में चैक मीटर के आधार पर दर्ज खपत अनुसार पूरक बिल की राशि को कभी भी चुनौती नहीं दी गई। इससे स्पष्ट है कि उन्हें विदित नहीं था कि उनसे वसूल की जाने वाली बकाया राशि चैक मीटर में दर्ज खपत के आधार पर की जा रही है। क्योंकि उनके द्वारा जून 2006 के बाद दर्ज किये गये वाद एवं अपील में केवल चैक मीटर हटाये जाने एवं कनेक्शन विच्छेदित नहीं करने का अनुरोध किया गया था।

29 आवेदक द्वारा एक अन्य अपील क्रमांक 29/ए/2015 जो कि दशम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दर्ज की गई थी इसमें भी कह कहते हुए अपील वापिस ले ली गई थी कि उनके परिसर से चैक मीटर हटा दिये गये तथा अब वे अपना प्रकरण का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में कराना चाहते हैं।

30 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जिसकी कंडिका 9.17 में चेक मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर बिलिंग किये जाने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को दिया गया है निम्नानुसार है ।

9.17 जिस अवधि में मीटर कायर्करत नहीं रहा, उस अवधि के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व तीन मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जाएगा। यदि चेक मीटर लगा हो तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यदि मीटर कार्यरत नहीं रहा हो तथा चेक मीटर नहीं लगा हो या खराब हो तो ऐसी दशा में बिलिंग उपरोक्त दर्शाए आधार पर की जाएगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी के मत से उपभोक्ता के परिसर की स्थितियाँ जिस महीने की औसत बिलिंग की जानी हो, उस महीने ऐसी रही हो, जिससे उपरोक्त आधार पर की गई औसत बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के पक्ष में सही नहीं हो तो ऐसी दशा में इस अवधि की औसत बिलिंग संबंधित वृत्त के प्रभारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट नहीं हो तो वह स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय सामान्यतः मान्य होगा।

31 अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में स्थापित इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर की कार्यप्रणाली में संदेह होने पर मीटर को तुरंत नहीं बदला गया और ना ही आवेदक के ऊपर कोई वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई, जबकि अनावेदक को मीटर में दर्ज खपत पर संदेह था एवं मीटर नहीं बदलने के कारण चेक मीटर के द्वारा दर्ज खपत में बिलिंग जून 2006 के पश्चात क्यों बद कर दी गई अनावेदक द्वारा कोई जबाव अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।

32 अनावेदक द्वारा सिविल न्यायालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक 45/2006 में दिये गये निर्देश दिनांक 2.5.2006 के आधार पर चैक मीटर की खपत के कारण दिये गये पूरक बिल की राशि उपभोक्ता के बिल में जोड़कर भुगतान करते समय कम कर दी जाती थी।

33 उक्त वाद पर निर्णय दिनांक 4.3.2014 को आने के पश्चात भी एवं प्रकरण अनावेदक के पक्ष में निरस्त करने के बावजूद भी अनावेदक द्वारा उक्त राशि उपभोक्ता के बिल में कम करके चालू मासिक बिल जमा किये जाते रहे।

34 अनावेदक को विद्युत प्रदाय संहिता में दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए आवेदक को नोटिस देकर दोनों इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर निकालकर उनका परीक्षण कराया जाना था, मीटर नहीं निकालने देने की स्थिति में आवेदक का कनेक्शन विच्छेदित करना था, परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसा नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण मीटर आवेदक के परिसर में लगा रहने दिया एवं उसमें दर्ज खपत के अनुसार ही मासिक बिल दिये जाते रहे जो कि मीटर जलने क तिथि तक लगातार जारी रहे, अनावेदक की सेवा में कमी दर्शाता है।

35 अक्टूबर 2011 के पश्चात उक्त राशि की डिमाण्ड किये जाने के पश्चात अनावेदक केवल आवेदक से बिना उनके अनुरोध पर केवल मासिक खपत के बिल का भुगतान प्राप्त कर रहा है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक न्यायालय के निर्देशों (एनेक्सर –6) के परिपालन में कार्यवाही कर रहा है। अतः इस स्थिति में भी अनावेदक द्वारा इस राशि पर अधिभार नहीं लिया जा

सकता क्योंकि अनावेदक स्वयं आंशिक भुगतान निरंतर प्राप्त करता रहा है अतः इस स्थिति में अनावेदक सरचार्ज की बिलिंग किया जाना वैधानिक/न्यायसंगत नहीं है।

36 चूंकि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 9.17 के अनुसार चैक मीटर के आधार पर बिलिंग किये जाने का प्रावधान है तथा चैक मीटर लगाने के पश्चात सितंबर 2005 से जून 2006 के बीच में दर्ज खपत में अंतर आने पर खपत के अंतर के कारण बिलिंग की गई राशि रूपये 5,91,776/— नियमानुसार है ।

अतः आदेशित किया जाता है कि —

अ आवेदक के विरूद्ध अक्टूबर 2011 से की गई सरचार्ज की बिलिंग को निरस्त की जाए एवं इस मद में यदि कोई राशि आवेदक से वसूल की गई है तो उसका समायोजन आवेदक के आगामी मासिक विद्युत देयकों में किया जाए।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना—अपना वहन करेंगे।

37 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।
4.

विद्युत लोकपाल